फाइल नं0-71-1002/211/2019

19/2023/।/286326/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2022-23/716, दिनांक 07.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1114/71-1-2013-जी-555/2012, दिनांक 06.06.2013 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 13798.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष विभिन्न शासनदेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 13108.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-115/2022/।/232667/2022-71-1002/211/2019, दिनांक 07.11.2022 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 17453.16 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 07.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 17453.16 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-42-मेडिकल कालेज, झांसी हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि **रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का प्रयोग इस प्रकार किया जाये ताकि भवन का आंशिक प्रयोग से जन सामान्य को लाभ प्राप्त हो सके | प्रायोरिटी तय करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. शासनादेश संख्या-115/2022/।/232667/2022-71-1002/211/2019, दिनांक 07.11.2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054200 मेडिकल कालेज झांसी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त - अनुभाग (व्ययक - आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, गोमती नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।